



# बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(A Govt. of Bihar Undertaking)  
ISO 9001:14001; OHSAS 18001

Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasha Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna - 800 004

Tel. No. : 0612 - 2660850 • Fax No. : 0612 - 2660256

E-mail : bseidc@gmail.com • Website : <http://www.bseidc.in> • CIN : U80301BR2010SGC015859

पत्रांक— BSEIDC/TECH/135/2019-

283 3422

पटना, दिनांक:.....25.06.2020

प्रेषक,

मुख्य अभियंता  
BSEIDC, पटना।

सेवा में,

M/S B.K. Enterprises,  
Vill-Dhanupra, P.S.-Ara Town,  
Distt.-Bhojpur, Bihar.

विषय:— बिहार राज्य अंतर्गत मॉडल विद्यालय (MS) ग्रुप सं०—MS-14 के भवन निर्माण कार्य के एकरारनामा सं०—387 SBD of 2014-15, दिनांक—10.10.2014 को SBD के Clause of Contract के प्रावधानों के अंतर्गत Rescind करने के संबंध में।

प्रसंग: कार्यपालक अभियंता, पटना (पूर्वी) प्रमण्डल, BSEIDC का पत्रांक—600, दिनांक—17.12.2019 तथा पत्रांक—133 दिनांक—16.03.2020

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के आलोक में कहना है कि ग्रुप सं०— MS-14 के भवन निर्माण कार्य का एकरारनामा (सं०—387 SBD of 2014-15) दिनांक—10.10.2014 को किया गया था। एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 09.01.2016 (15 माह) थी। कार्य की समाप्ति की तिथि से 04 वर्ष से भी ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद अभी तक आपके द्वारा कार्य को पूर्ण नहीं किया गया है। कार्यपालक अभियंता, पटना (पूर्वी) प्रमण्डल के द्वारा आपको कार्य पूर्ण करने हेतु कई बार निदेश दिया गया। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक—BSEIDC/TECH/135/2019-2260, दिनांक—17.03.2020 द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण एकरारनामा की सुसंगत कंडिकाओं के तहत विषयक एकरारनामा को आपके Risk & Cost पर विखंडित कर Security Deposit को जब्त करते हुए आपके निबंधन को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के कंडिका 11 क (ii) के आलोक में काली सूची में दर्ज करने के संबंध में कारण पृच्छा की गई एवं दिनांक—27.03.2020 तक अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निर्देश दिया गया था। जिसके आलोक में आपके द्वारा कोई स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया तथा वर्तमान में भी कार्य की प्रगति असंतोषजनक है।

उक्त के आलोक में कार्यपालक अभियंता, पटना (पूर्वी) प्रमण्डल के पत्रांक—133 दिनांक—16.03.2020 द्वारा कार्य को पूर्ण नहीं कराये जाने के कारण बाध्य होकर एकरारनामा को विखंडित करने की अनुशंसा की गई है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं लोकहित/कार्यहित में SBD के कंडिका 3 (iii), (iv), (v) तथा 14(iii) एवं 14x(b) के अंतर्गत Contract Agreement संख्या-387 SBD of 2014-15 दिनांक-10.10.2014 को तत्काल प्रभाव से आपके Risk & Cost पर विखंडित (Rescind) किया जाता है। साथ ही SBD के कंडिका 3 (vii) (a) के तहत Performance Security जब्त की जाती है।

बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका- 11 क (ii) के आलोक में अन्य कार्रवाई भी की जायेगी।

इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

3422  
25/06/2020

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक: BSEIDC/TECH/289/2019-

पटना, दिनांक-25.06.2020

प्रतिलिपि: कार्यपालक अभियंता, पटना (पूर्वी) प्रमण्डल, BSEIDC को निदेश दिया जाता है कि संवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में तिथि निर्धारित कर अंतिम, मापी कराकर शेष कार्य का प्राक्कलन एवं परिमाण विपत्र तैयार कर समर्पित करें ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

3422  
25/06/2020

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक: BSEIDC/TECH/289/2019-

पटना, दिनांक-25.06.2020

प्रतिलिपि: महाप्रबंधक (वित्त)/कार्यपालक अभियंता (मु०)/लेखा पदाधिकारी, BSEIDC को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3422  
25/06/2020

मुख्य अभियंता